संख्या- 1094/2026/ —— /001-2015 26-3-2026

प्रेषक,

प्रवीण मिश्र
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 1 अगस्त, 2026

विषय:- जनपद गोरखपुर में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों के भवन मरम्मत/सौन्दर्यीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यो का उपभोग प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृत निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1171/स0क0/विकास/छात्रावास/2026-27, दिनांक 15.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद गोरखपुर में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों के भवन मरम्मत/सौन्दर्यीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यो का उपभोग प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृत निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति के क्रम में जनपद गोरखपुर में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों के भवन मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 21.12.2023 द्वारा निम्न विवरण के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी:-

सं0	जनपद का नाम	छात्रावास का नाम	आगणित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	अवशेष धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	गोरखपुर	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, उत्तरी हुमायूंपुर।	117.86	60.00	57.86
2	गोरखपुर	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, जे0आर0एफ0लाल डिग्गी	38.27	38.27	0.00
3	गोरखपुर	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास बापू लालडिग्गी	19.83	19.83	0.00
4	गोरखपुर	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, संत रविदास, लाल डिग्गी।	16.96	16.96	0.00
5	गोरखपुर	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास कौडीराम।	80.65	40.00	40.65
योग			**273.57**	**175.06**	**98.51**

3- उक्त पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर स्थित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, उत्तरी हुमायूंपुर में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु आगणित/अनुमोदित लागत रू0 117.86 लाख की 5 प्रतिशत धनराशि रू0 5.90 लाख रोकते हुए द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 51.96 लाख (रू0 इक्यावन लाख छियानबे हजार मात्र) एवं राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास कौडीराम में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु आगणित/अनुमोदित लागत रू0-80.65 लाख की 5 प्रतिशत धनराशि रू0 4.00 लाख रोकते हुए द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 36.65 लाख (रू0 छत्तीस लाख पैंसठ हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0-88.61 लाख (रू0 अट्ठासी लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष श्री राज्यपाल कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था यू0पी0सिडको लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि शासनादेश संख्या-111/2023/4091/26-3-2023 सी0एन0 1768446, दिनांक 21.12.2023 में वर्णित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन कर लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में निहित शर्तो एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद हेतु किया जायेगा अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यो को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नहीं दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस सक्षम स्तर से निदेशक, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य आगणन

के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पाईचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, समाज कल्याण की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन निदेशालय, समाज कल्याण विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप निर्गत किया जाएगा।

(11) प्रायोजना की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था/निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रेषित मांग एवं अभिलेखों के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। अतः यदि परियोजना के मानक एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई सूचना भविष्य में गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रश्नगत अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(13) निदेशक, समाज कल्याण द्वारा प्रश्नगत अनुरक्षण कार्य हेतु उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, थर्ड पार्टी जांच आख्या व अनुरक्षण कार्य का फोटोग्राफ उपलब्ध कराए जाने के पश्चात अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 88,61,000 (रुपये अट्ठासी लाख इकसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2225017890900 राजकीय छात्रावासों / राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/ दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by PRAVEEN MISHRA Date: 10-08-2026 13:28:43

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या- 100/2026/ —— /001-2015 26-3-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन।
6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक यू0पी0सिडको, लखनऊ ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव